न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, पाली
पीठासीन अधिकारी : श्री चन्द्रभान सिंह भाटी, आर.ए.एस.

विविध प्रकरण संख्या : 19/2021

GCMS No-2021/68

प्रार्थीः–	बनाम	अप्रार्थीगण :–
श्री दिलीपसिंह यादव, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, पाली हाल बांसवाडा		1. नाहरसिंह पुत्र श्री इन्द्रसिंह राजपूत, मैसर्स श्री चामुण्डेश्वरी किराणा ब्रहम विहार सुन्धा नगर पाली 2. अशोक कुमार मुन्दडा, मैसर्स ऐ.के. मुन्दडा,6 कंवरनगर अग्रसेन नगर सिन्धी कॉलोनी पाली 3. अजय चौधरी डोडला डेयरी लि., टी–22 कृषि मण्डी, मण्डोर रोड़, जोधपुर।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 26 की उपधारा 2(2) खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006

उपस्थित :–

1. खाद्य सुरक्षा अधिकारी अनुपस्थित।
2. अप्रार्थीगण की ओर से अधिवक्ता लक्ष्मीनारायण वैष्णव।

–: निर्णय :–

दिनांक 06.04.22

प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 26(2) खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत अप्रार्थीगण के विरूद्ध प्रस्तुत किया। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। प्रार्थी अनुपस्थित होने से बहस अधिवक्ता अप्रार्थीगण सुनी गई।

प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र में उल्लेख किया कि वर्तमान में खाद्य सुरक्षा अधिकारी के पद पर कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, पदस्थापित में पदस्थापित है। दिनांक 11.02.2020 को दौराने गश्त मैसर्स श्री चामुण्डेश्वरी किराणा, ब्रहम विहार सुन्धा नगर, पाली पर गए, जहा पर प्रार्थी ने अपना परिचय खाद्य सुरक्षा अधिकारी के रूप में दिया। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने विक्रेता नाहरसिंह व गवाहान की उपस्थिति में मैसर्स श्री चामुण्डेश्वरी किराणा स्टोर का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान दुकान पर आम जन की बिक्री हेतु घी ब्राण्ड डोडला के 11 पैक जार रखे पाये गये जिनमें मिलावट का शक होने पर रूबरू गवाहान के सामने प्रपत्र 5ए भरकर दिया प्रपत्र 5ए की दुसरी प्रति पर रसीद प्राप्त की जिस पर खाद्य सुरक्षा अधिकारी गवाहान एवं विक्रेता के हस्ताक्षर है। प्रार्थी ने प्रपत्र 5ए देने से पहले विक्रेता को बता दिया कि वह घी ब्राण्ड डोडला का नमुना वास्ते एफएसएसए एक्ट के अन्तर्गत जाचं हेतु ले रहे है। प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने विक्रेता एवं गवाहान की उपस्थिति में घी ब्राण्ड डोडला के चार पैक जार को लेकर वास्ते जांच क्रय किया जिसकी कीमत विक्रेता को 1680 रू नगद देकर रसीद प्राप्त की जिस पर प्रार्थी विक्रेता एवं गवाहान के हस्ताक्षर है, जिसकी असल प्रति पत्रावली के साथ सलंग्न है।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने विक्रेता एवं गवाहान की उपस्थिति में खरीद किये गये घी ब्राण्ड डोडला की चारो नमुना पैक जार पर तैयार किये गये लेबल जिन पर नमुना क्रमांक आर–1033 एवं नमूने का विवरण अंकित किया। प्रत्येक लेबल पर विक्रेता व गवाहान के हस्ताक्षर करवाकर खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने स्वयं भी हस्ताक्षर कर प्रत्येक जार पर तैयार

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
पाली

लेबल चिपकाया गया। प्रत्येक नमूना पैक जार को अलग-अलग खाकी कागज में लपेट कर सिरों को सफाई से मोडकर गोंद से चिपकाया व प्रत्येक नमूनां पैक जार पर डीओ एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी पाली के हस्ताक्षर युक्त पेपर स्लिप कोड व क्रमांक आर-1033 गोंद से नियमानुसार चारों नमुना पैक जार के मुंह से पैंदे की ओर चिपकाई तथा प्रत्येक नमूना पैक जार को नियमानुसार धागे से बांध कर चपडी से सीलबंद सीलमुहर किया, जिस पर विक्रेता व गवाहान ने हस्ताक्षर नियमानुसार करवाये गये एवं चारों सीलबंद नमूना पैक जार को अपने कब्जे में लिया गया। विक्रेता ने उक्त खाद्य पदार्थ घी ब्राण्ड डोडला मैसर्स ऐ.के. मुन्दडा, 6 कंवरनगर अग्रसेननगर, सिन्धी कॉलोनी पाली से खरीदना बताया जिसके बिल की प्रति एवं आधार कार्ड की प्रति खाद्य सुरक्षा अनुज्ञा पत्र व फार्म 03 की प्रति पेश की जो पत्रावली के सलंग्न है।

प्रार्थी द्वारा मौके पर ही मौका फर्द रिपोर्ट तैयार की गई जिसे विक्रेता एवं गवाहान को पढकर सुनाया एवं हस्ताक्षर करने को कहा , विक्रेता एवं गवाहान ने पढकर, सुनकर समझकर एंव सही मानकर हस्ताक्षर किये तथा स्वयं खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने भी हस्ताक्षर किये। उपरोक्त समस्त कार्यवाही मौके पर ही की गई है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय पहुंच कर फार्म नं. 06 की प्रतियां तैयार की तथा प्रत्येक पर नमुना सील लगाई जिससे नमुना शीशी सील की थी। एक नमुना शीशी मय फार्म 6 की एक प्रति आउटर कवर में चपडी से सीलबंद कर, चपडी से सील मोहर कर दो सीलबदं नमूना शीशी तथा शेष नमूने का चौथा भाग मय फार्म नम्बर 6 की प्रतिया आउटर कवंर में चपडी से सीलबंद कर सील मोहर कर डीओ एंव मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी पाली को दिनांक 12.02.20 को मैने जमा कराकर रसीद प्राप्त की एंव किशोर कुमार सहायक कर्मचारी ने खाद्य विश्लेषक जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला जोधपुर मे दिनांक 12.02.20 को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की जिसकी असल प्रति प्रार्थना पत्र के सलंग्न है।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी को डीओं एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी पाली के पत्र क्रमांक एफएसएसए/2020/2722-23 दिनांक 13.03.20 एवं जांच रिपोर्ट संख्या एलएस/102/एक्ट/2020/101 दिनांक 20.02.20 के द्वारा मालूम हुआ की अप्रार्थी संख्या 01 की फर्म से लिया गया घी ब्राण्ड डोडला नमुना क्रमांक आर-1033 का नमुना Missbranded under Section 3(1)(zf)(C)(i) of food safety and Standard Act-2006 पाया गया जिसके संबध में विक्रेता द्वारा नमुने की पुनः जांच हेतु अपील नही की गई है। उक्त प्रकरण से संबधित सभी दस्तावेज अनुसंधान में डोडला डेयरी लि.टी-22 कृषि मण्डी, मण्डोर रोड जोधपुर द्वारा दस्तावेज उलब्ध नही करवाने के कारण उसे ही अंतिम पार्टी माना गया है।

इस प्रकार अप्रार्थी की फर्म मैसर्स श्री चामुडेश्वरी किराणा, ब्रहम विहार सुन्धा नगर,, पाली से लिया गया नमुना कोड आर-1033 नमुना घी ब्राण्ड डोडला जो Missbranded under Section 3(1)(zf)(C)(i) of food safety and Standard Act-2006 स्तर का पाया गया है। इससे स्पष्ट है कि अप्रार्थीगण द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 व नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2(2) का उल्लंघन किया गया है, जो इसी अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 52 के अन्तर्गत शास्ति योग्य है।

अधिवक्ता अप्रार्थीगण ने वक्त बहस एवं प्रारम्भिक आपत्तिया पेश में निवेदन किया कि अप्रार्थी संख्या 01 की फर्म से लिया गया घी ब्राण्ड डोडला में प्रार्थी संख्या 01 मात्र खुदरा विक्रेता है जिसे अप्रार्थी संख्या 01 द्वारा अप्रार्थी संख्या 02 श्री अशोक कुमार से जरिये बिल खरीद करके व्यापार कर रहा है। इस लिए अप्रार्थी संख्या 01 को अप्रार्थी बनाना न्यायसंगत नही है। नमुना घी ब्राण्ड डोडला के प्रत्येक डिब्बे पर डोडला कम्पनी का मार्का अंकित है तथा उस पर मेन्युफेक्चरिगं कम्पनी का नाम पता एंव बेच नम्बर अंकित है जो पुरे भारत में एक ही कम्पनी है। एफएसएसए एक्ट 2006 विनियम 2011 की

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
पाली

धारा 3(2) में मिथ्या छापवाला खाद्य पदार्थ की परिभाषा दी गई है, जिसके अनुसार अभियुक्तगण द्वारा विक्रय किया गया घी ब्राण्ड डोडला मिस ब्राण्ड की श्रेणी में नही आता है एंव प्रार्थी द्वारा मौके पर किसी प्रकार की कार्यवाही नही की गई। मौके पर किसी प्रकार के हस्ताक्षर नही करवाये गये। सभी दस्तावेज कार्यालय में बैठकर ही तैयार कर आवेदन के साथ पेश किये गये है एवं शील चस्पा एंव नमूना पैक करने की प्रक्रिया किस प्रकार की गई, यह प्रक्रिया अप्रार्थी संख्या 01 को नही बताया गया जिससे प्रार्थी द्वारा की गई तमाम कार्यवाही में संदेह पैदा होता है एवं प्रार्थी द्वारा मौका फर्द भी मौके पर तैयार नही की गई है। एफएसएल रिपोर्ट के अनुसार घी ब्राण्ड डोडला मे किसी प्रकार की मिलावट नही की गई है एवं लिये गये नमुने पर ब्रांड नेम एवं कम्पनी का पता अंकित है। साथ ही अप्रार्थी को नमुने की अपील के संबध में किसी जानकारी नही थी, जिसके कारण अप्रार्थी द्वारा खाद्य विषलेषक,जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला जोधपुर की रिपोर्ट की अपील नही की जा सकी है। इसलिए अप्रार्थी को दोषमुक्त मानकर उपरोक्त तथ्यों के आधार पर प्रकरण निस्तारण करने के आदेश प्रदान करावें।

हमने अधिवक्ता अप्रार्थीगण की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया गया। खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 11.02.2020 को दौराने गस्त अप्रार्थी की दुकान मैसर्स श्री चामुण्डेश्वरी किराणा, ब्रहम विहार सुन्धा नगर, पाली पर गया तो, वहां पर अप्रार्थी संख्या 01 नाहरसिंह उपस्थित मिले। प्रार्थी ने विक्रेता एवं गवाहान की उपस्थिति में प्रपत्र 5–ए भरकर दिया तथा उनकी उपस्थिति में अप्रार्थी की दुकान मैसर्स श्री चामुण्डेश्वरी किराणा, ब्रहम विहार सुन्धा नगर, पाली से मौका फर्द अनुसार प्रार्थी द्वारा दिनांक 11.02.2022 को अप्रार्थी की दुकान में आमजन को विक्रय हेतु रखे गये घी ब्राण्ड डोडला के चार जार वास्ते जांच हेतु क्रय कर, उक्त क्रयसुदा घी ब्राण्ड डोडला को वास्ते नमुना लेबल तैयार कर कोड व सिरियल नम्बर आर–1033 अंकित करके सीलबन्द किया गया तथा नियमानुसार प्रक्रिया अपनाते हुए जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला जोधपुर भिजवाया गया। खाद्य विश्लेषक द्वारा प्रेषित जांच प्रतिवेदन क्रमांक एल.एस. /102/एक्ट/2020/101 दिनांक 20.02.2020 में प्रार्थी द्वारा लिया गया घी ब्राण्ड डोलडा जो Missbranded under Section 3(1)(zf)(C)(i) of food safety and Standard Act-2006 माना गया। उक्त रिपोर्ट के अनुसार अप्रार्थी की दुकान से लिया गया नमुना कोड आर–1033 में Name and address of Mfr/Pkr में पता Gundrampally Nagonda Dist- TS 508114 लिखा गया है जो पूर्व पते की श्रेणी में नही आता है जो Contravention of Regulation No 2.2.2(6) of Food safety and standards (Packaging and Labelling) Regulation, 2011 का उंल्लघन है। इस प्रकार अप्रार्थी संख्या 01 की दुकान से लिया गया घी ब्राण्ड डोडला जो जो Missbranded under Section 3(1)(zf)(C)(i) of food safety and Standard Act-2006 पाया गया है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र एवं पत्रावली के सलंग्न दस्तावेजात् का अवलोकन करने पर पाया गया कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा अप्रार्थी संख्या 01 की दुकान से खाद्य पदार्थ घी ब्राण्ड डोडला का नमुना क्रमांक आर–1033 लेते समय समस्त कार्यवाही नियमानुसार की गई। इससे स्पष्ट है कि अप्रार्थी द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 व नियम 2011 की धारा 26 की 26 2(2) का उल्लंघन किया गया है, जो इसी अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 52 के अन्तर्गत शास्ति योग्य है।

परिणाम स्वरूप प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 26 2(2) के तहत स्वीकार किया जाता है तथा अप्रार्थी द्वारा Missbranded under Section 3(1)(zf)(C)(i) of food safety and Standard Act-2006 खाद्य पदार्थ घी ब्राण्ड डोडला का विक्रय करने के कारण इसी अधिनियम की धारा 52 के तहत अप्रार्थी 01 पर 25,000/– अक्षरे पच्चीस हजार रूपये मात्र, अप्रार्थी संख्या 02 पर 50,000/– अक्षरे पचास हजार रूपये मात्र एंव अप्रार्थी संख्या 03 पर 50,000/– अक्षरे पचास हजार रूपये मात्र कुल 1,25,000/– कुल एक

जिला ... (राजस्थान)

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
पाली

लाख पच्चीस हजार रूपये मात्र की शास्ति आरोपित की जाती है, साथ ही अप्रार्थीगण को निर्देश दिये जाते है कि वे उक्त राशि राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मद ''0210—चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य, 04—लोक स्वास्थ्य, 800 अन्य प्राप्तियां, (03) खाद्य सुरक्षा कानून के अन्तर्गत अनुज्ञापत्र शुल्क आदि'' में जमा करवा कर चालान की प्रति इस न्यायालय में प्रस्तुत करें। इस निर्णय की प्रतिलिपि अप्रार्थीगण एवं प्रार्थी को वास्ते पालनार्थ भिजवाई जावे। बाद पालना पत्रावली फैसल में शुमार होकर नम्बर से कम हो।

(चन्द्रभान सिंह भाटी)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, पाली

निर्णय आज दिनांक 06.04.22 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(चन्द्रभान सिंह भाटी)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, पाली